



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222555
CG-DL-E-19102020-222555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3251]
No. 3251]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3666 (अ).—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एन. रमेश (जन्म तिथि: 1.6.1977) जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड (नैफेड) के कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में कार्यरत हैं, को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एक्जिम बैंक में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप-प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 9/3/2019-आईएफ-1]

आनंद मधुकर, ओएसडी (संयुक्त सचिव स्तर)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

S.O. 3666(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 6 read with sub-section (2) of section 6 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby appoints Shri N. Ramesh, (D.O.B: 1.6.1977), currently working as Executive Director (ED), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) as Deputy Managing Director (DMD), Export-Import Bank of India (Exim Bank) on deputation basis, for a period of three years from the date of his taking over charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/3/2019-IF-I]
ANAND MADHUKAR, OSD (JS Level)